महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

संख्या- 36/2026/1541/छिहत्तर-1-2026-(2069633)

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21-07-2026

विषय:- पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत विफल बोरिंग, उपयुक्त पेयजल उपलब्ध न होने एवं उच्च TDS वाले क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ के पत्र संख्या-286/प्र.नि.(कैम्प)/102-006/26 दिनांक 14-07-2026 के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत बोरिंग के विफल हो जाने, पेयजल हेतु उपयुक्त जल उपलब्ध न होने एवं उच्च टी0डी0एस0 वाले क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्धारित मानक की गुणवत्ता से युक्त पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) उपलब्ध करायी गयी है।

2- उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), भूगर्भ जल विभाग, जिला प्रशासन, पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं ग्राम पंचायतों के स्पष्ट दायित्व निर्धारित है तथा उपलब्ध जल स्रोतों / वैकल्पिक जल स्रोतों तथा उक्त पर आधारित पेयजल योजना के निर्माण एवं क्रियानवयन के उपरांत इसके सुचारू रूप से संचालन एवं रख-रखाव के उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये है। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गयी है, जो यथा आवश्यकता अपनी स्पष्ट संस्तुति अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) को उपलब्ध करायेगी।

3- अत: उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलगन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित मानक के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 21-07-2026
15:53:20

(अनुराग श्रीवास्तव)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 36 /2026/ 1541 (1)/छिहत्तर-1-2026, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 21-07-2026
16:03:25

(डॉ0 अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- 36/2026/1541/छिहत्तर-1-2026-(2069633)दिनांक 21 जुलाई, 2026 का संलग्नक।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

विषय- पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत विफल बोरिंग, उपयुक्त पेयजल उपलब्ध न होने एवं उच्च TDS वाले क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

-

1.1 प्रस्तावना

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में हर घर नल से जल के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य एवं संचालन किया जा रहा है। प्रायः यह पाया जा रहा है कि राज्य के कतिपय जनपदों, में कठोर शैल(Hard Rock) भूगर्भीय संरचना, सीमित वर्षा, भूजल स्तर में निरंतर गिरावट तथा जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण अनेक ग्रामों में भूजल आधारित पेयजल स्रोत योजनाओं में Tubewell बोर दीर्घकाल तक टिकाऊ नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर नलकूपों की बार-बार ड्रिलिंग के उपरांत भी पर्याप्त जलधारिता प्राप्त नहीं हो रही है। जहां कहीं पर्याप्त जलधारिता प्राप्त होती भी है तो वह जल उच्च TDS, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक अथवा लवणता के कारण पेयजल मानकों के अनुरूप नहीं होता। ऐसी स्थिति में पुनः ड्रिलिंग पर सार्वजनिक धन के व्यय होने के उपरान्त भी पेयजल की उपलब्धता का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में सतही जल आधारित पेयजल योजनाएं (Surface Water Based Water Supply Schemes) अधिक उपयुक्त, किफायती एवं दीर्घकालिक विकल्प हो सकती हैं। इसी उद्देश्य से सम्बन्धित ग्रामों की पहचान, तकनीकी परीक्षण, अनुमोदन, डीपीआर संशोधन एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने हेतु यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है।

1.2 उद्देश्य

इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उद्देश्य राज्य के ऐसे ग्रामों के लिए एक

समान, पारदर्शी एवं वैज्ञानिक तकनीकी निर्णय प्रणाली स्थापित करना है, जहाँ लगातार तीन बार नलकूप ड्रिलिंग असफल रही हो अथवा उपलब्ध भूजल स्रोत पर्याप्त जलधारिता प्रदान नहीं कर रहे हों। इसके माध्यम से उच्च TDS तथा फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, आयरन एवं अन्य जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही भूजल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए बार-बार नलकूप ड्रिलिंग पर होने वाले अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय में कमी लाई जाएगी। उपलब्ध सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए जल जीवन मिशन की योजनाओं की दीर्घकालिक स्रोत स्थिरता (Source Sustainability) को सुदृढ बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों के मध्य समन्वित कार्य प्रणाली विकसित करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को सुदृढ करना भी इस SOP का प्रमुख उद्देश्य है।

1.3 नीति आधार

यह मानक संचालन प्रक्रिया जल जीवन मिशन के संचालन दिशा-निर्देशों, CPHEEO द्वारा प्रकाशित *Manual on Water Supply and Treatment* भारतीय मानक IS 10500 (पेयजल गुणवत्ता मानक), Central Ground Water Board (CGWB) के तकनीकी दिशा-निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं तकनीकी निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण एवं स्रोत स्थिरता से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को भी इस SOP के निर्माण में समुचित रूप से समाहित किया गया है।

1.4 परिभाषाएँ

(क) विफल नलकूप (Failed Tube Well)

विफल नलकूप का आशय ऐसे भूजल आधारित नलकूप से है, जहाँ लगातार तीन नलकूप ड्रिलिंग प्रयास तकनीकी दृष्टि से असफल रहे हों अथवा आवश्यक गहराई तक ड्रिलिंग के उपरांत भी परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त जलधारिता प्राप्त न हुई हो। ऐसे स्रोत, जिनका पम्पिंग परीक्षण निर्धारित DPR के अनुसार अपेक्षित डिस्चार्ज उपलब्ध नहीं कराता हो, जो ग्रीष्मकाल में नियमित रूप से सूख जाते उन्हें विफल नलकूप की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) निम्न जलधारिता (Low Yield Source)

उपलब्ध स्रोत यदि परियोजना की वर्तमान एवं भावी दैनिक जल मांग को पूरा करने में सक्षम न हो अथवा निरंतर एवं विश्वसनीय जलापूर्ति सुनिश्चित न कर पा रहा हो, तो ऐसे स्रोत को निम्न जलधारिता वाला स्रोत माना जाएगा तथा उसके स्थान पर वैकल्पिक स्रोत अथवा सतही जल आधारित समाधान का परीक्षण किया जा सकेगा।

(ग) उच्च जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र-

ऐसा भूजल स्रोत जिसमें कुल घुलित ठोस पदार्थ (TDS) निम्न अन्य जल गुणवत्ता मानक पेयजल उपयोग के लिए स्वीकार्य सीमा से अधिक पाए जाएँ और इसकी पुष्टि मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से हो गई।

(घ) सतही जल आधारित पेयजल योजना

नदी, बाँध, बैराज, जलाशय, झील अथवा अन्य सतही स्रोत पर आधारित पेयजल योजनाए जिसमें जल शोधन संयंत्र (WTP), पम्पिंग स्टेशन, संचरण पाइपलाइन, जलाशय एवं वितरण तंत्र सम्मिलित हों।

(ङ) स्रोत स्थिरता (Source Sustainability)

ऐसी व्यवस्था जिससे भविष्य में भी निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता का पेयजल निरंतर उपलब्ध कराया जा सके।

1.5 मार्गदर्शक सिद्धांत

इस मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत सभी कार्यवाहियाँ सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संपादित की जाएँगी। किसी भी ग्राम अथवा बसावट को वैकल्पिक पेयजल स्रोत अथवा सतही जल आधारित पेयजल योजना से आच्छादित किए जाने संबंधी निर्णय लेते समय पेयजल की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा स्रोत की दीर्घकालिक स्थिरता (Source Sustainability) सुनिश्चित की जाएगी।

सभी प्रस्तावों का परीक्षण तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता, उपलब्ध जल संसाधनों, भावी जल मांग तथा परियोजना की दीर्घकालिक उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा। जहाँ भी व्यवहार्य एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होगा, वहाँ सतही एवं भूजल स्रोतों के समन्वित उपयोग (Conjunctive Use) को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उपलब्ध जल संसाधनों का संतुलित एवं सतत प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके साथ ही जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण संबंधी उपायों को योजनाओं के क्रियान्वयन के समानांतर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता एवं स्थिरता बनी रहे। बुन्देलखण्ड तथा अन्य जल-संकटग्रस्त, कठोर शैल (Hard Rock) अति-दोहित (Over-Exploited) एवं क्रिटिकल (Critical) भूजल क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस SOP के अंतर्गत लिए जाने वाले सभी निर्णय उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों, संयुक्त निरीक्षण, हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन, जल गुणवत्ता परीक्षण, तकनीकी परीक्षणों तथा सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति के आधार पर ही लिए जाएँगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता एवं तकनीकी व्यवहार्यता हो सके।

1.6 अपेक्षित परिणाम

इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त एवं मानकानुसार पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित होने की अपेक्षा है। भूजल आधारित विफल नलकूपों पर बार-बार ड्रिलिंग एवं अन्य अनुत्पादक कार्यों पर होने वाले अनावश्यक सार्वजनिक व्यय में कमी आएगी तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी एवं किफायती उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही जहाँ भी तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होगा, वहाँ सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं का अधिकतम एवं दक्षतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे वैकल्पिक एवं दीर्घकालिक पेयजल स्रोत उपलब्ध हो सकें।

इस SOP के क्रियान्वयन से जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित एवं प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की स्रोत स्थिरता (Source Sustainability) सुदृढ़ होगी तथा भविष्य की जल मांग के अनुरूप विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामों के चयन, तकनीकी परीक्षण, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन संबंधी निर्णयों में जिला स्तर पर पारदर्शिता, एकरूपता, उत्तरदायित्व एवं विभागीय समन्वय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावी बन सकेगी।

अध्याय-2

पात्रता मानदण्ड, तकनीकी परीक्षण एवं संयुक्त निरीक्षण प्रक्रिया-

2.1 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य ऐसे ग्रामों की पहचान हेतु एक समान एवं पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित करना है जहाँ भूजल आधारित पेयजल स्रोत दीर्घकालिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं तथा जहाँ तकनीकी परीक्षण के उपरांत सतही जल आधारित पेयजल योजना से आच्छादन पर विचार किया जा सकता है।

2.2 पात्रता मानदण्ड

निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी ग्राम व बसावट को सतही जल आधारित पेयजल योजना से जोड़ने हेतु परीक्षण एवं प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है, जिस पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक परीक्षण के उपरांत लिया जाएगा।

(क) विफल नलकूप (Failed Tube Well)

कोई ग्राम अथवा बसावट सतही जल आधारित पेयजल योजना से आच्छादित किए जाने हेतु परीक्षण एवं विचार के लिए पात्र मानी जा सकती है, यदि उपलब्ध भूजल स्रोत तकनीकी दृष्टि से दीर्घकालिक रूप से अनुपयुक्त पाया गया हो। इस संबंध में ऐसे प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें लगातार तीन नलकूप ड्रिलिंग प्रयास तकनीकी रूप से असफल रहे

हों अथवा आवश्यक गहराई तक ड्रिलिंग किए जाने के उपरांत भी परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त जलधारिता प्राप्त न हुई हो। ऐसे नलकूप, जिनका पम्पिंग परीक्षण (Pumping Test) निर्धारित डीपीआर (DPR) के अनुसार अपेक्षित डिस्चार्ज उपलब्ध नहीं कराता हो अथवा जो ग्रीष्मकाल में नियमित रूप से सूख जाते हों, भी इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाएँगे। तथापि, अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तकनीकी परीक्षणों, संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं विभागीय संस्तुतियों के परीक्षण के उपरांत ही लिया जाएगा।

(ख) निम्न जलधारिता

कोई ग्राम अथवा बसावट इस श्रेणी में विचारणीय होगी, यदि उपलब्ध भूजल स्रोत परियोजना की वर्तमान दैनिक जल मांग की पूर्ति करने में सक्षम न हो अथवा भावी जनसंख्या के अनुरूप अपेक्षित जल उपलब्ध कराने की पर्याप्त क्षमता न रखता हो। ऐसे स्रोत, जिनसे निरंतर एवं विश्वसनीय जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो अथवा जिनकी जलधारिता परियोजना की निर्धारित आवश्यकता से कम पाई जाती हो, उनके संबंध में वैकल्पिक पेयजल स्रोत की उपलब्धता का परीक्षण किया जाएगा। तकनीकी परीक्षण के उपरांत यदि यह स्थापित होता है कि उपलब्ध भूजल स्रोत दीर्घकालिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो संबंधित ग्राम अथवा बसावट को सतही जल आधारित पेयजल योजना अथवा अन्य उपयुक्त एवं सुरक्षित वैकल्पिक स्रोत से आच्छादित किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(ग) जल गुणवत्ता प्रभावित स्रोत

ऐसे ग्राम अथवा बसावट, जहाँ उपलब्ध भूजल स्रोत की गुणवत्ता भारतीय मानक IS 10500 (पेयजल गुणवत्ता मानक) के अनुरूप न पाई जाए तथा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण में कुल घुलित ठोस पदार्थ (TDS), फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, आयरन अथवा लवणता (Salinity) की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई जाए, उन्हें जल गुणवत्ता प्रभावित श्रेणी में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि जल परीक्षण के दौरान स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक कोई अन्य रासायनिक, भौतिक अथवा जैविक प्रदूषक निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऐसे ग्राम अथवा बसावट को सुरक्षित एवं मानकानुसार पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक स्रोत अथवा सतही जल आधारित पेयजल योजना से आच्छादित किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(घ) भूगर्भीय परिस्थितियाँ

ऐसे ग्राम अथवा क्षेत्र, जहाँ भूगर्भीय एवं हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थितियाँ भूजल आधारित पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता एवं स्थिरता के लिए प्रतिकूल हों, उन्हें

इस मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण एवं प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। विशेष रूप से कठोर शैल (Hard Rock) एवं दरारयुक्त चट्टानी (Fractured Rock) क्षेत्रों, क्रिटिकल अथवा अति-दोहित (Over-Exploited) भूजल विकास खण्डों, बार-बार सूखने वाले भूजल स्रोतों तथा निरंतर गिरते भूजल स्तर वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में भूगर्भीय परिस्थितियों, उपलब्ध जलभृत (Aquifer) की स्थिति, भूजल पुनर्भरण की संभावना तथा स्रोत की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का विस्तृत तकनीकी परीक्षण कर, आवश्यकता होने पर संबंधित ग्राम अथवा बसावट को सतही जल आधारित पेयजल योजना अथवा अन्य उपयुक्त एवं सुरक्षित वैकल्पिक स्रोत से आच्छादित किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

2.3 संयुक्त निरीक्षण समिति

प्रत्येक पात्र ग्राम का निरीक्षण निम्न समिति द्वारा किया जाएगा –

अधिकारी	भूमिका
अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)	समिति अध्यक्ष एवं तकनीकी परीक्षण
प्रतिनिधि, भूगर्भ जल विभाग	भूजल एवं जलभृत का परीक्षण
प्रतिनिधि, लघु सिंचाई विभाग	स्थानीय जल संरचनाओं एवं पुनर्भरण की संभावना का आकलन
संबंधित खंड विकास अधिकारी/ जिला प्रशासन का प्रतिनिधि	प्रशासनिक समन्वय
ग्राम प्रधान/VWSC प्रतिनिधि	स्थानीय जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराना

2.4 निरीक्षण के प्रमुख बिंदु

संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा प्रत्येक पात्र ग्राम अथवा बसावट का स्थल निरीक्षण करते समय उपलब्ध अभिलेखों, तकनीकी परीक्षणों तथा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर समग्र परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पूर्व में किए गए नलकूप ड्रिलिंग प्रयासों का विवरण, उपलब्ध ड्रिलिंग लॉग, पम्पिंग/डिस्चार्ज परीक्षण प्रतिवेदन तथा जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही ग्रीष्मकाल के दौरान स्रोत की वास्तविक जल उपलब्धता, वैकल्पिक भूजल स्रोत की संभावना, भूजल पुनर्भरण एवं जल संरक्षण संबंधी कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा स्रोत की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का भी परीक्षण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम अथवा बसावट को निकटतम सतही जल आधारित पेयजल योजना से जोड़ने की तकनीकी एवं हाइड्रोलिक व्यवहार्यता, आवश्यक अवसंरचना, अनुमानित लागत, संभावित लाभ तथा परियोजना के समग्र आर्थिक एवं तकनीकी प्रभाव का आकलन किया जाएगा। संयुक्त निरीक्षण समिति उपर्युक्त सभी तथ्यों के परीक्षण के उपरांत अपनी संस्तुति सहित निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगी, जिसके आधार पर सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अग्रेत्तर निर्णय लिया जाएगा।

2.5 तकनीकी परीक्षण

किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व निम्न परीक्षण अनिवार्य होंगे-

(1) हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन-

किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के उपलब्ध सेकेंडरी हाइड्रोजियोलाजिकल एवं भू-भौतिकीय डाटा का अध्ययन समिति द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार क्षेत्र का विस्तृत हाइड्रोजियोलॉजिकल एवं भू-भौतिकीय सर्वेक्षण/अध्ययन भी कराया जाएगा। इस अध्ययन के अंतर्गत क्षेत्र की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टीविटी टोमोग्राफी (ERT) एवं ट्रान्जियेन्ट इलेक्टोमैग्नेटिक (TEM) अध्ययन द्वारा भूगर्भीय संरचना, जलभृत (Aquifer) की प्रकृति एवं स्थितिए भूजल स्तर, जलभृत की जलधारण क्षमता तथा भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) की संभावनाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन का उद्देश्य उपलब्ध भूजल स्रोत की वर्तमान स्थिति, उसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता तथा भविष्य में सतत जलापूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता का आकलन करना होगा। हाइड्रोजियोलॉजिकल एवं जियोफिजिकल अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि संबंधित क्षेत्र में भूजल आधारित स्रोत का विकास तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त एवं व्यवहार्य है अथवा सतही जल आधारित पेयजल योजना अथवा अन्य वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत अपनाया जाना अधिक उपयुक्त होगा। उक्त अध्ययन एवं सर्वेक्षण कार्यों के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) /जल जीवन मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) जल गुणवत्ता परीक्षण-

उपलब्ध जल स्रोत की गुणवत्ता का परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भारतीय मानक IS 10500 (पेयजल गुणवत्ता मानक) के अनुरूप कराया जाना अनिवार्य होगा। परीक्षण के दौरान स्थानीय परिस्थितियों, भूगर्भीय विशेषताओं तथा संभावित जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार जल के प्रमुख भौतिक, रासायनिक एवं जैविक मानकों का परीक्षण किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से pH, कुल घुलित ठोस पदार्थ (TDS), फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड तथा कठोरता (Hardness) का परीक्षण सम्मिलित होगा। जहाँ आवश्यक हो अथवा संदूषण की संभावना हो, वहाँ जल की सूक्ष्मजीव संबंधी (Microbiological) गुणवत्ता का परीक्षण भी कराया जाएगा। परीक्षण के परिणामों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि उपलब्ध जल स्रोत पेयजल उपयोग हेतु सुरक्षित एवं मानकानुसार है अथवा संबंधित ग्राम अथवा बसावट को वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत अथवा सतही जल आधारित पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।

(3) डिस्चार्ज परीक्षण-

उपलब्ध स्रोत की क्षमता का परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह वर्तमान एवं भविष्य की जल मांग पूरी करने में सक्षम है या नहीं।

(4) सतही जल स्रोत की व्यवहार्यता हेतु-

किसी ग्राम अथवा बसावट को सतही जल आधारित पेयजल योजना से जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व संबंधित सतही जल स्रोत एवं उपलब्ध अवसंरचना की तकनीकी व्यवहार्यता का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के अंतर्गत निकटतम सतही जल आधारित पेयजल योजना अथवा उपलब्ध सतही जल स्रोत की दूरी, उसमें उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा एवं भविष्य की जल मांग को पूरा करने की क्षमता का आकलन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित योजना की हाइड्रोलिक व्यवहार्यता, आवश्यक पम्पिंग व्यवस्था, ऊर्जा आवश्यकता, संचरण पाइपलाइन की संभाव्यता, आवश्यक भूमि की उपलब्धता (जहाँ आवश्यक हो) तथा अन्य तकनीकी आवश्यकताओं का परीक्षण किया जाएगा। सतही जल आधारित योजना से ग्राम को आच्छादित किए जाने की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने हेतु अनुमानित लागत, संचालन एवं अनुरक्षण व्यय तथा प्रस्तावित योजना से प्राप्त होने वाले दीर्घकालिक लाभों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। उपर्युक्त सभी तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं के समग्र परीक्षण के उपरांत ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतही जल आधारित समाधान के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

2.6 निर्णय मैट्रिक्स (Decision Matrix)

स्थिति	अनुशंसित कार्यवाही
तीन बार नलकूप ड्रिलिंग प्रयास तकनीकी दृष्टि से असफल	सतही जल योजना से जोड़ने की व्यवहार्यता का परीक्षण
जलधारिता अपर्याप्त	वैकल्पिक स्रोत अथवा सतही जल योजना का परीक्षण
उच्च TDS/ फ्लोराइड /आर्सेनिक	सुरक्षित वैकल्पिक स्रोत को प्राथमिकता
ओवर-एक्सप्लॉइटेड व क्रिटिकल भूजल ब्लॉक	जहाँ संभव हो, सतही जल आधारित समाधान को प्राथमिकता
पुनर्भरण की पर्याप्त संभावना	कृत्रिम पुनर्भरण एवं भूजल सुधार उपायों पर भी विचार

2.7 आवश्यक अभिलेख

किसी ग्राम अथवा बसावट को सतही जल आधारित पेयजल योजना अथवा अन्य वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत से आच्छादित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के साथ आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव के परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु नलकूप ड्रिलिंग से संबंधित विस्तृत रिपोर्टए डिस्चार्ज परीक्षण (Pumping/Discharge Test) प्रतिवेदन तथा जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की

जाएगी। इसके अतिरिक्त भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी स्रोत की व्यवहार्यता एवं हाइड्रोजियोलॉजिकल स्थिति से संबंधित तकनीकी अभिलेखए संयुक्त निरीक्षण समिति का निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संबंधित क्षेत्र का स्थल मानचित्र भी संलग्न किया जाएगा।

प्रस्ताव के साथ निकटतम सतही जल आधारित योजना का विवरण, उपलब्ध जल की स्थिति, तकनीकी जुड़ाव की संभावना एवं आवश्यक अवसंरचना से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्य का प्रारंभिक लागत विश्लेषण, संभावित वित्तीय प्रभाव तथा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की स्पष्ट तकनीकी संस्तुति भी संलग्न की जाएगी। समस्त अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत ही प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

2.8 विभागवार दायित्व

(क) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अंतर्गत मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। संस्था का दायित्व होगा कि पात्र ग्रामों एवं बसावटों का आवश्यकतानुसार तकनीकी सर्वेक्षण कराया जाए तथा विफल नलकूपों, उपलब्ध जल स्रोतों एवं जल गुणवत्ता से संबंधित समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया जाए। इसके उपरांत संबंधित ग्राम को सतही जल आधारित पेयजल योजना से जोड़े जाने की तकनीकी एवं हाइड्रोलिक व्यवहार्यता का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यकतानुसार संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित योजना की तकनीकी संरचना, लागत अनुमान एवं वित्तीय प्रभाव का समुचित आकलन सम्मिलित होगा। संस्था द्वारा सक्षम स्तर से आवश्यक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की होगी। कार्य पूर्ण होने के पश्चात योजना का आवश्यक परीक्षणए संचालन संबंधी सत्यापन एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित संस्था/ग्राम पंचायत को हस्तांतरण की कार्यवाही भी उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) भूगर्भ जल विभाग-

भूगर्भ जल विभाग इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अंतर्गत तकनीकी परामर्श एवं भूजल संबंधी परीक्षणों हेतु क्रियान्वयन सहयोगी विभाग के रूप में कार्य करेगा। विभाग द्वारा संबंधित ग्राम अथवा क्षेत्र का विस्तृत हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना, जलभृत (Aquifer) की स्थिति, जल उपलब्धता एवं भूजल स्रोतों की प्रकृति का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा।

भूगर्भ जल विभाग द्वारा उपलब्ध जलभृत की क्षमता, भूजल स्तर, भूजल प्रवाह की स्थिति तथा पुनर्भरण (Recharge) क्षमता का आकलन किया जाएगा, जिससे स्रोत की वर्तमान एवं भविष्य की स्थिरता का निर्धारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विफल नलकूपों के कारणों का तकनीकी परीक्षण करते हुए यह निर्धारित किया जाएगा कि नलकूप विफलता भूगर्भीय संरचना, जलभृत की स्थिति, अपर्याप्त पुनर्भरण अथवा अन्य किसी कारण से हुई है।

विभाग द्वारा संबंधित स्रोत की दीर्घकालिक व्यवहार्यता (Long Term Sustainability) के संबंध में तकनीकी परामर्श व तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन एवं अन्य जल संरक्षण उपायों की संभावनाओं के संबंध में तकनीकी सुझाव प्रदान किए जाएंगे। भूगर्भ जल विभाग की संस्तुतियाँ संबंधित ग्राम को वैकल्पिक स्रोत अथवा सतही जल आधारित पेयजल योजना से आच्छादित किए जाने संबंधी निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता आधार के रूप में प्रयुक्त की जाएंगी।

(घ) जिला प्रशासन-

जिला प्रशासन इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अंतर्गत विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने एवं योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक सूचनाओं, तकनीकी प्रतिवेदनों एवं प्रस्तावों के समयबद्ध परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

जिला स्तर पर गठित समिति की बैठकें आयोजित कर पात्र ग्रामों एवं प्रस्तावित योजनाओं का समग्र परीक्षण कराया जाएगा तथा उपलब्ध तकनीकी एवं प्रशासनिक तथ्यों के आधार पर ग्रामों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षणोपरांत आवश्यक प्रशासनिक संस्तुति प्रदान की जाएगी तथा स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा, गुणवत्ता मानकों एवं शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण किए जा रहे हैं।

(ङ) ग्राम पंचायत एवं VWSC-

ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (Village Water and Sanitation Committee - VWSC) इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेगी। इनके द्वारा संबंधित ग्राम अथवा बसावट से जुड़ी स्थानीय जानकारी, उपलब्ध जल स्रोतों की स्थिति, पूर्व में किए गए प्रयासों तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं को संबंधित विभागों एवं संयुक्त निरीक्षण समिति को उपलब्ध कराया

जाएगा।

ग्राम पंचायत एवं VWSC द्वारा स्थल निरीक्षण, सर्वेक्षण एवं तकनीकी परीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय टीमों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावित वैकल्पिक पेयजल स्रोत अथवा सतही जल आधारित योजना के संबंध में ग्राम समुदाय की सहभागिता एवं सहमति सुनिश्चित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के उपरांत इसके सुचारू संचालन, रख-रखाव, जल संरक्षण तथा समुदाय आधारित निगरानी व्यवस्था को सुदृढ करने में भी ग्राम पंचायत एवं VWSC द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

2.9 जिला स्तरीय समिति

जिला स्तर पर निम्न समिति गठित की जाएगी-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	सदस्य सचिव
अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक/ भूगर्भ जल विभाग प्रतिनिधि	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित ग्रामीण जलापूर्ति विशेषज्ञ	सदस्य

उपर्युक्तानुसार जनपद स्तर पर गठित की जाने वाली समिति प्रकरण के समग्र परीक्षण के उपरान्त अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित रिपोर्ट, अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को उपलब्ध करायेगी।

2.10 बोर फेल से सम्बन्धित सूचनाएं ग्रामवार विभागीय पोर्टल एवं जल सारथी ऐप पर पृथक से प्रदर्शित की जाये।

2.11 बोर फेल होने वाली साईटों में बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अध्याय-3

डी.पी.आर. (DPR) संशोधन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय अनुमोदन प्रक्रिया।

3.1 संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Revised DPR) की तैयारी-

- जिला स्तरीय समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संबंधित ग्राम/बसावट के लिए संशोधित डी.पी.आर. तैयार की जाएगी।
- संशोधित डी.पी.आर. में निकटतम सतही जल आधारित योजना से जोड़े जाने हेतु आवश्यक संचरण पाइपलाइन (Transmission Pipeline) की लंबाई, व्यास (Diameter), हाइड्रोलिक क्षमता, बूस्टर पम्पिंग स्टेशन (यदि आवश्यक हो) और अतिरिक्त जल शोधन संयंत्र (WTP) की क्षमता

का स्पष्ट तकनीकी विवरण शामिल किया जाएगा।

- जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन (LPCD) की दर से आगामी 30 वर्षों की अनुमानित डिजाइन जनसंख्या की जल मांग का आकलन किया जाएगा।

अध्याय-4 स्रोत स्थिरता एवं जल सुरक्षा (Source Sustainability & Water Security)

केवल सतही जल पर निर्भर रहने के बजाय, स्थानीय भूजल स्तर को पुनर्जीवित करने के लिए लघु सिंचाई विभाग और ग्राम पंचायत के समन्वय से जल जीवन मिशन के 'स्त्रोत स्थिरता' घटक के अंतर्गत चेक डैम, तालाबों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और कृत्रिम भूजल पुनर्भरण (Artificial Recharge) के कार्य समानांतर रूप से क्रियान्वित किए जाएंगे।

Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 21-07-2026
16:04:23

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।